न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 08/2017

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थी
राजेश टिंकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं जोधपुर जोन, जोधपुर		मोटाराम पुत्र उदाराम पटेल (एफबीओ/मालिक) फर्म–मैसर्स पटेल जनरल स्टोर, मैन बाजार कल्याणपुर जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 02.5.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोन जोधपुर के दोपहर 3.30 बजे मैंसर्स पटेल जनरल स्टोर, मैन बाजार कल्याणपुर जिला बाड़मेर पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम मोटाराम पुत्र उदाराम पटेल उम्र 50 वर्ष निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा (फर्म मालिक) होना बताया गया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ घी (बिनोला) के 500 एम.एल. के 20 पैकेट्स आम जनता को विक्रय करने हेतु पाये गये। उक्त घी (बिनोला) में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाहो के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद रूपये 600/– नगद अदा कर घी (बिनोला) 500 एल.एल. के 04 पैकेट्स खरीदे एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये गये उन पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 357 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक आदि विवरण अंकित किया। प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सीरियल नम्बर पी–357 चिपकाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–357 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की सात प्रतियां तैयार की गई। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन–जोधपुर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी द्वारा परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ घी (बिनोला) की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/468/एक्ट/2016/499 दिनांक 12.5.2016 से अभिहित अधिकारी एंव उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन–जोधपुर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ घी (बिनोला) का नमूना पी–357 Unsafe food under section 3(1) (zz)(iv) of food safety and satety and Standaeds Act-2006 पाया गया। जिस पर अप्रार्थी मोटाराम पटेल द्वारा द्वितीय जांच कराने का निवेदन किये जाने पर अभिहित अधिकारी जोधपुर द्वारा उक्त नमूने का द्वितीय भाग निदेशक रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को पुनः जांच हेतु भिजवाया गया। रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 273 एफ/एफएसएसए/2016 दिनांक 8.8.2016 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (बिनोला) का नमूना अवमानक स्तर (Sub-Standard) का पाया गया। जॉच में घी (बिनोला) का नमूना पी–357 अवमानक स्तर (Sub-Standard) का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन होना पाये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, जोन जोधपुर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी ने जवाब में जाहिर किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लेने की कार्यवाही सही नहीं की गई। अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है, जिसकी आय बहुत कम है। बाजार में घी बिनोला की कोई शिकायत नहीं सुनी गई। घी बिनोला का सेम्पल साईकिल से मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति से लिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूने की दोनो जांच रिपोर्टो में भिन्नता होने से जांच रिपोर्ट स्वीकार योग्य नहीं रह गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोन जोधपुर द्वारा पेश परिवाद निरस्त योग्य है।

3. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान् बताया कि दिनांक 05.05.2016 को जांच के दौरान् घी (बिनोला) में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना पी–357 निदेशक रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 273एफ/एफएसएसए/2016 दिनांक 8.8.2016 के अनुसार अवमानक स्तर (Sub-Standard) पाया गया, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हुआ है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

4. विप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान् कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोन, जोधपुर द्वारा दिनांक 05.05.2016 को घी (बिनोला) के भरे गये प्रथम व द्वितीय सेम्पलो की जांच रिपोर्टो में भिन्नता पाई गई है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थी एक छोटा खुदरा दुकानदार है। अप्रार्थी के विरूद्व प्रथम प्रकरण होने के कारण अप्रार्थी लोक अदालत की भावना से अपना जुर्म स्वीकार करता है, प्रकरण का निपटारा लोक अदालत की भावना से करवाया जाय।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा निदेशक रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर के पत्र संख्या 501–502 दिनांक 26.8.2016 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा बेचा जा रहा खाद्य पदार्थ घी (बिनोला) का द्वितीय नमूना पी. 357 जॉच में अवमानक स्तर (Sub-Standard) का पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक स्तर (Sub-Standard) स्तर का

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अभियुक्त मोटाराम पर रूपये 3000/– अक्षरे तीन हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोधपुर जोन जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 02.05.2018 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0 बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 02.05.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

कार्यालय टिप्पणी

विषय :– प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

–:–

महोदय,

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर जोन जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत मोटाराम पुत्र उदार पटेल (एफबीओ एवं मालिक) मैसर्स पटेल जनरल स्टोर मैन बाजार कल्याणपुर जिला बाड़मेर के विरु पेश किया है, का संलग्न् अवलोकन करावें।

1. प्रार्थना पत्र म्याद ~~बाहर~~/अन्दर है।
2. प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र पेश कि है।
3. प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन पत्र वास्ते स्थगन आदेश मय शपथ पत्र पेश किया है।
4. कोर्ट फीस पूर्ण/अपूर्ण है।
5. प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः आज्ञा हो तो प्रकरण धारा 26 उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 200 नियम 2011 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जायें।

25/5/17

न्याय निर्णय अधिकारी
एवं अपर कलक्टर महो.